

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15072025-264662
SG-DL-E-15072025-264662

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204]
No. 204]

दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2025/आषाढ़ 20, 1947
DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2025/ASHADHA 20, 1947

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 126
[N. C. T. D. No. 126

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(शहरी विकास विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 11 जुलाई, 2025

फा. सं. 16(515)/शह0वि0/डब्ल्यू/2015/1009.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली प्रशासन की दिनांक 23.06.2016 की अधिसूचना संख्या 16(515)/शह0वि0/डब्ल्यू/2015/1033-34 के आंशिक संशोधन में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, दिल्ली जल बोर्ड में सहायक जीवाणु विज्ञानी के पद की भर्ती पद्धति के विनियमन हेतु दिल्ली जल बोर्ड एतद् द्वारा निम्नलिखित भर्ती विनियमन बनाते हैं, प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :— (I) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड, सहायक जीवाणु विज्ञानी भर्ती विनियमन, 2025 कहा जाए।
(II) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :— उक्त पदों की संख्या, इसका उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. अयोग्यता :— कोई भी व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
 - (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. उपबंध शिथिल करने की शक्ति :—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. बचाव :— इन विनियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

“अनुसूची”

1.	पदनाम	:	सहायक जीवाणु विज्ञानी
2.	पदों की संख्या	:	13 (2015)* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी “ख”
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900—142400/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं टीप 1 : केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार में सरकारी कर्मचारियों तथा दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय। टीप 2 :— आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य :— (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से जीव रसायन/सूक्ष्म जीव विज्ञान/जीवाणु विज्ञान/जीव प्रौद्योगिकी/जन्तु विज्ञान में मास्टर डिग्री; तथा (ख)(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से रसायन/जीव रसायन/जीव विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान/जीवाणु विज्ञान/ जीव प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान में डिग्री; तथा (ii) जल के जीवाणु विज्ञान परीक्षण में दो वर्ष का अनुभव, अथवा टीप-1 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।

			टीप-2 यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/ जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता(योग्यताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है/ हैं।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	<p>टीप-: पदधारियों द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी रुग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी।</p> <p>(क) (I) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले, अथवा</p> <p>(II) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित या समकक्ष, तथा</p> <p>(ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले।</p> <p>टीप-1: केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।</p> <p>टीप 2: प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ दिनांक 01-01-2016 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदत्त सेवा, जिस तिथि से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित संशोधित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, को वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर तदनुरूप विस्तारित ग्रेड पे/वेतनमान के रूप में की गई सेवा मानी जाएगी, के अतिरिक्त जहां एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड पे/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय हो गया हो, और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड पे/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p>
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है	:	लागू नहीं

12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	समूह “ख” विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थी)
			1. सदस्य (प्रशासन) — अध्यक्ष 2. निदेशक (ए एण्ड पी) — सदस्य 3. निदेशक (शोधन गुणवत्ता एवं नियंत्रण) — सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक लेना नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनोज कुमार पांडे, संयुक्त सचिव (शहरी विकास विभाग)

(URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT)

NOTIFICATION

Delhi, the 11th July, 2025

F. 16(515)/UD/W/2015/1009.—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers conferred by clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) and in Partial amendment of Delhi Administration Notification No.16 (515)/UD/W/2015/1033-34 dated 23.06.2016 except as respects things done or omitted to be done before such supersession for regulating the method of recruitment to the post of Assistant Bacteriologist in the Delhi Water Board, are hereby published, namely:-

1. **Short title and commencement:** - (I) These regulations may be called the Delhi Jal Board ‘Assistant Bacteriologist’ Recruitment Regulations, 2025.
(II) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Number of posts, classification and Level in the Pay matrix:** The number of said posts, its classification and Level in the Pay matrix shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications:-** The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualification:**— No person;
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:
Provided that Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation for this regulation.
5. **Power to relax the provisions:**- Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving:** - Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	NAME OF THE POST	ASSISTANT BACTERIOLOGIST
2.	NUMBER OF POST.	13* (2025) SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD
3.	CLASSIFICATION	CATEGORY 'B'
4.	LEVEL IN THE PAY MATRIX.	LEVEL-7 (RS.44900-142400) IN THE PAY MATRIX.
5.	WHETHER SELECTION OR NON- SELECTION POST.	NOT APPLICABLE
6.	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS.	NOT EXCEEDING 30 YEARS. NOTE 1- RELAXABLE FOR GOVERNMENT SERVANTS AND EMPLOYEES OF DELHI JAL BOARD UP TO FIVE YEARS IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS OR ORDERS ISSUED BY THE CENTRAL GOVERNMENT. NOTE 2- THE CRUCIAL DATE FOR DETERMINING THE AGE LIMIT SHALL BE AS ADVERTISED BY COMPETENT AUTHORITY.
7.	EDUCATIONAL & OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS.	ESSENTIAL: - (A) MASTER DEGREE IN BIO-CHEMISTRY/ MICROBIOLOGY/BACTERIOLOGY/BIOTECHNOLOGY/ZOOLOGY FROM A RECOGNIZED UNIVERSITY OR INSTITUTE. OR (B) (I) DEGREE IN SCIENCE WITH CHEMISTRY/BIO-CHEMISTRY/ BIOLOGY/MICROBIOLOGY/BACTERIOLOGY/BIOTECHNOLOGY OF A RECOGNIZED UNIVERSITY/INSTITUTE; AND (II) TWO YEARS' EXPERIENCE IN BACTERIOLOGICAL EXAMINATION OF WATER. NOTE1: QUALIFICATION ARE RELAXABLE AT THE DISCRETION OF THE COMPETENT AUTHORITY, FOR REASONS TO BE RECORDED IN WRITING, IN THECASE OF CANDIDATES OTHERWISE WELLQUALIFIED. NOTE 2: THE QUALIFICATION(S) REGARDINGEXPERIENCE IS/ARE RELAXABLE AT THEDISCRETION OF THE COMPETENT AUTHORITY, FORREASONS TO BE RECORDED IN WRITING IN THE CASE OF CANDIDATES BELONGING TO SCHEDULED CASTES OR SCHEDULED TRIBES IF AT ANY STAGE OF SELECTION THE COMPETENT AUTHORITY IS OF THE OPINION THAT SUFFICIENT NUMBER OF CANDIDATES FROMTHESE COMMUNITIES POSSESSING THE REQUISITE EXPERIENCE ARE NOT LIKELY TO BE AVAILABLE TO FILL UP THE VACANCIES RESERVED FOR THEM.

8.	WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES.	NOT APPLICABLE
9.	PERIOD OF PROBATION, IF ANY.	TWO YEARS FOR DIRECT RECRUITS
10.	METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT, OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION / TRANSFER AND PERCENTAGE OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.	<p>BY DIRECT RECRUITMENT.</p> <p>NOTE: VACANCIES CAUSED BY THE INCUMBENT BEING AWAY ON DEPUTATION OR LONG ILLNESS OR STUDY LEAVE OR UNDER OTHER CIRCUMSTANCES FOR DURATION OF ONE YEAR OR MORE MAY BE FILLED ON DEPUTATION BASIS FROM OFFICERS OF CENTRAL GOVERNMENT:-</p> <p>(A)(i) HOLDING ANALOGOUS POST ON REGULAR BASIS IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT; OR ii) WITH FIVE YEARS' SERVICES IN THE GRADE RENDERED AFTER APPOINTMENT THERETO ON REGULAR BASIS IN LEVEL-6 OF THE PAY MATRIX OR EQUIVALENT IN THE PARENT CADRE/DEPARTMENT; AND</p> <p>(B) POSSESSING EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS UNDER COLUMN 7.</p> <p>NOTE:1 PERIOD OF DEPUTATION INCLUDING PERIOD OF DEPUTATION IN ANOTHER EX-CADRE POST HELD IMMEDIATELY PRECEDING THIS APPOINTMENT IN THE SAME OR SOME OTHER ORGANIZATION/DEPARTMENT OF THE CENTRAL GOVT. SHALL ORDINARILY NOT TO EXCEED THREE YEARS. THE MAXIMUM AGE LIMIT FOR APPOINTMENT BY DEPUTATION SHALL BE NOT EXCEEDING 56 YEARS AS ON THE CLOSING DATE OF RECEIPT OF APPLICATIONS</p> <p>NOTE:2 FOR THE PURPOSE OF APPOINTMENT ON DEPUTATION BASIS, THE SERVICE RENDERED ON A REGULAR BASIS BY AN OFFICER PRIOR TO 1.1.2016. THE DATE FROM WHICH THE REVISED PAY STRUCTURE BASED ON THE 7TH CPC RECOMMENDATION HAS BEEN EXTENDED, SHALL BE DEEMED TO BE SERVICE RENDERED IN THE CORRESPONDING GRADE PAY/PAY SCALE EXTENDED BASED ON THE RECOMMENDATIONS OF THE PAY COMMISSION EXCEPT WHERE THERE HAS BEEN MERGER OF MORE THAN ONE PRREVISED SCALE OF PAY INTO ONE GRADE WITH A COMMON GRADE PAY/PAY SCALE, AND WHERE THIS BENEFIT WILL EXTEND ONLY FOR THE POST(S) FOR WHICH THAT GRADE PAY/PAY SCALE IS THE NORMAL REPLACEMENT GRADE WITHOUT ANY UNGRADATION.</p>

11.	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/ DEPUTATION/ABSORPTION, GRADES FROM WHICH PROMOTION/ DEPUTATION/ ABSORPTION TO BE MADE.	NOT APPLICABLE
12.	IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS, WHAT IS ITS COMPOSITION.	<p>CATEGORY 'B' DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE (FOR CONSIDERING PROMOTION):</p> <p>1. MEMBER (ADMIN) – CHAIRMAN 2. DIRECTOR (A&P) – MEMBER 3. DIRECTOR (TREATMENT QUALITY & CONTROL) – MEMBER</p>
13.	CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT.	CONSULTATION WITH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION NOT NECESSARY.

By Order and in the Name of
the Lt. Governor, Delhi,
MANOJ KUMAR PANDEY, Joint Secy. (UD)